न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)
पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना–पत्र :– 251 (ए) आर.टी.ए.
प्रार्थना –पत्र नम्बर 75/2025

सत्यपाल बिश्नोई पुत्र रामजस जाति बिश्नोई तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। प्रार्थी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
2. सुशील कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र जाति बिश्नोई निवासी बोलावाली तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम तहसील संगरिया के चक न 17 बी.जी.पी ज.स. 2072–2075 के खाता स 196/158 व अप्रार्थी स 1 व 2 के नाम इसी चक के खाता स 138/143 व 229/149 ने कृषी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त खातो की जमाबन्दीया सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के क़ब्जा काश्त की भूमि चक न 17 बी.जी.पी ज.स. 2072–2075 के खाता स 196/158 के प.न 163/163 मु.न. 46 किला न 21 व 22 व प.न. 162/163 मु.न. 45 किला न 25 मे आने जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। इसलिए प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की भूमि... हेतु अप्रार्थी स 1 व 2 के कब्जा काश्त की भूमि चक न 17 बी.जी.पी ज.स. 2072–2075 के खाता स 138/143 के प.न 163/163 मु. न. 46 किला न 23,24,25 मे दक्षिण दिशा मे किला न 3,4,5 से चिपता पूर्व से पश्चिम लम्बा 0.025 है प्रत्येक कुल 0.075 है का रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता के एवज मे भूमि या बजार मूल्य जो भी अप्रार्थी स 1 व 2 उचित समझे देने को तैयार व तत्पर है। इसलिए प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया। रास्ता राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत करवा दो तो अप्रार्थीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह प्रार्थी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थना पत्र बाबत व रास्ता स्वीकृत का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए प्रस्तूत कर निवेदन है कि चक न 17 बी.जी.पी ज.स. 2072–2075 के खाता स 138/143 के प.न 163/163 मु.न. 46 किला न 23,24,25 मे दक्षिण दिशा मे किला न 3,4,5 से चिपता पूर्व से पश्चिम लम्बा 0.025 है प्रत्येक कुल– 0.075 है का रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार चालु करवा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने के आदेश फ़रमाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के अभिभाषक की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय फर्म नम्बर 3 के साथ प्रकरण संख्या 84/2025 सुशील कुमार बनाम अनिल कुमार वगैरा में जारी स्थगन की प्रमाणित प्रति पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार संगरिया के पत्र क्रमांक 2043 दिनांक 16.10.2025 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई व प्राथी के प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्रों सहित तहसीलदार संगरिया से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा चक न. 17 बीजीपी खाता संख्या 196/158 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प. न. 163/163 मु.न. 46 किला नम्बर 21 व 22 एवं प.न. 162/163 मु.न. 45 किला नं. 25 में आने जाने हेतु मंजुर शुद्दा रास्ता नही होने के कारण इसी चक के खाता संख्या 138/143 के प. न. 163/163 मु.न. 46 किला नम्बर 23,24,25 में दक्षिण दिशा में किला नम्बर 3,4,5 से चिपता पूर्व से पश्चिम लम्बा 0.025 है.प्रत्येक मे रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र पेश किया।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट मय उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया मुताबिक रिपोर्ट आवेदित रास्ता के विकल्प के रूप में प.न. 163/163 मु.न. 46 किला नं. 18 में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है परन्तु इस स्थिति में अप्रार्थीगण का खेत दो टुकडो में विभाजित होता है और अप्रार्थी रास्ता देने हेतु सहमत भी नही है परन्तु प्रार्थी को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है, जबकि आवश्यकता होने पर की गई है। लेकिन अप्रार्थी ने सूचना होने के बाद स्थगन आदि की समस्त कार्यवाही कर जवाब प्रस्तुत किया है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दायरी के पश्चात ही स्थगन संबंधी समस्त कार्यवाही की है, जिसका उक्त पर प्रभाव नही है। साथ ही उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा में हिस्सा विशेष भूमि का बेचान न करने एव न ही सुधार के अतिरिक्त कोई निर्माण करने हेतु उभय पक्षो को पाबन्द किया गया है। इसलिए उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा रास्ता पर लागू नही होती है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत किसी काश्तकार के पास खातेदारी कृषि भूमि के लिए कृषि कार्य हेतु मन्जूर शुद्दा रास्ता का आभाव है तो उसे रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के स्पष्ट प्रावधान भी किये गये है। अप्रार्थीगण का **खेत (आराजी) खराब न हो** को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को प्रश्नगत रास्ते से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु <u>"रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता"</u> एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक [illegible] में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्दा रास्ते का अभाव होने से

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थीगण के रकबा में से चक 17 बीजीपी प.न. 163/163 मु.न. 46 के किला नम्बर 23,24,25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा चौड़ा दक्षिण दिशा में किला नम्बर 3,4,5 से चिपता पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है उक्त रास्ता का सभी पक्षकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 सहित सार्वजनिक उपयोग/उपभोग कर सकेगें और इसके बदले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा किला नं. 16, 17 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 24,25 के चिपता नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बावत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखायां जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया